"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2010—ज्येष्ठ 7, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रभा लकड़ा आत्मज़ स्व. श्री जोसेफ लकड़ा निवासी विजेता काम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ. ग.) का हूं तथा सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा शाखा में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ हूं. मैं अपना नाम प्रभा लकड़ा को परिवर्तित कर नया नाम प्रभात लकड़ा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रभात लकड़ा आत्मज स्व. श्री जोसेफ लकड़ा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रभा लकड़ा आत्मज-स्व. श्री जोसेफ लकड़ा निवासी-विजेता काम्पलेक्स न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)	प्रभात लकड़ा आत्मज-स्व. श्री जोसेफ लकड़ा निवासी-विजेता काम्पलेक्स न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. .... ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक 104/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2010.—चूंकि एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवनारायण तिवारी, निवासी अश्वनी नगर रायपुर के नाम से लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 11-06-10 को होगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	शिव मंदिर ट्रस्ट समिति, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	3,000 रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

प्रकरण क्र. 07 ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक 105/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2010.—चूंकि एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राणा जय गोपाल, शैलेन्द्र नगर रायपुर ने श्रीमती कुंवर बाई राणा जय गोपाल सिंह चेरीटेबल ट्रस्ट रायपुर के नाम से लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 11-06-10 को होगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्रीमती कुंवर बाई राणा जय गोपाल सिंह चेरीटेबल ट्रस्ट, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	1,100 रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

तारन प्रकाश सिन्हा
अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.